


06¹⁰/₂₅ आज यह पत्रावली प्राप्ति वकील
 के जरिये प्रान्तर प्रार्थना-पत्र पर तलब
 की गई। प्रार्थी/वादी जरिये अधिवक्ता
 के प्रार्थना-पत्र प्रान्तर कर निवेदन किया
 कि उपरोक्त पत्रावली में वादी व
 प्रतिवादी का आपस से राजीनामा हो
 गया है। इसलिए वादी उपरोक्त पत्रावली
 को आगे नहीं चलाना चाहता है। पत्रावली
 को दिनांक 7/10/25 से तलब कर नोट-
 प्रेस कि इजाजत प्रदान करें।

हमने वादी व उनके वकील
 को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया
 वाद-पत्र में पक्षियों का राजीनामा होने
 से पत्रावली को (अदम) नोट-प्रेस में
 शर्तित किया जाता है। किन्तु पत्रावली
 जलाल शुमार होकर नम्बर से कम है।
 वाद प्रति टालिये टालिये है।

उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (कोटा जिले)

No + प्रमाण



श्रीशरण

9d

मा. 12
 आ. 12